<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

<u>संख्याः**02/2020/**1537ई-**1**/तेरह-**2020-18/17**(टी.सी.)</u>

प्रेषक

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-**1** लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2020

विषयः-आबकारी विभाग के अन्तर्गत आने वाले पदों के समुचित निर्धारण एवं उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत पदों एवं उसके सापेक्ष प्रत्येक चयन वर्ष में पदोन्नति, सेवानिवृत्ति व अन्य कारणों से घटित होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों क्रमशः संख्याः **10**/दस-सं.वि.मि.-**1**/2001, दिनांक **09-01-2001** संख्याःसी.ए.-**1004**/दस-**2003-**सं.वि.मिस.-**1/2003**, दिनांक **11-08-2003**, में प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या में **02** प्रतिशत् तक कमी किये जाने एवं सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप उत्पन्न होने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों को न्यूनतम स्तर पर न भरे जाने तथा विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं समाप्त किये गये पदों की त्रैमासिक सूचना संकलित कर कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. अग्रेत्तर व्यय प्रबन्धन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता हेतु वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश संख्याः**4/2018**/आर.जी.-**1021**/दस/**2018-** मित-**1/2017**, दिनांक **18-09-2018** में यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि विगत एक दशक में विभागों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने से कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है तथा विभागों के कार्यभार में कमी हुई है। बदले परिवेश में अनुपयोगी पदों को चिन्हित कर समाप्त करते हुए ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यथासम्भव अन्य पदों या अन्य विभागों में समायोजित करने की कार्यवाही की जाय। तद्क्रम में उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग में कम्प्यूटराइजेशन तथा सूचना तकनीक के प्रयोग के फलस्वरुप प्रति कर्मचारी एवं अधिकारी की कार्यदक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान परिदृश्य में कम्प्यूटराइजेशन होने**,** एप के क्रियाशील होने एवं विभागों में आन-लाइन प्रक्रिया को अधिकाधिक रुप से अंगीकृत करने आदि के दृष्टिगत अनुपयोगी पदों को समाप्त कर, सूचना तकनीक में हुए विकास एवं आज की मांग तथा विभागीय आवश्यकतानुसार पदों को परिवर्तित करने एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पदों के समुचित निर्धारण किया जाना आवश्यक एवं प्रासंगिक है।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गो के पदों के समुचित निर्धारण करने एवं उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः-

(1) वर्तमान वर्ष **2020** से आगामी वर्ष **2030** के मध्य सभी संवर्गो में घटित होने वाली रिक्तियों का वर्षवार विवरण तैयार किया जाय।

(2) वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार मितव्ययिता के दृष्टिगत सभी संवर्गो हेतु वर्तमान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष**,** कार्मिकों की वास्तविक आवश्यकता का नये सिरे से आंकलन करते हुए**,** कार्मिकों की संख्या में दो प्रतिशत् की कटौती किये जाने के संबंध में संस्तुति सहित प्रस्ताव तैयार किया जाय।

(3) मितव्ययिता तथा कम्प्यूटराइजेशन**,** विभागीय कार्यो से संबंधित पोर्टल एवं ऐप विकसित तथा क्रियाशील हो जाने के फलस्वरूप और विभाग में आन-लाइन प्रक्रिया को अंगीकृत किये जाने के दृष्टिगत विभाग के विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संवर्गों में पूर्व से स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पदों की वर्तमान में आवश्यकता होगी एवं आवश्यकता से अधिक होने के कारण कितने पदों की कटौती तथा पदों को समाप्त किया जाना अपेक्षित होगा के संबंध में विभागाध्यक्ष स्तर पर गहनता से अध्ययन कर अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति शासन को निम्न बिन्दुओं का परीक्षण गहनता से करते हुए उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैः-

(क) विभाग के वर्तमान क्रिया-कलापों के परिपे्रक्ष्य में आवश्यकता के दृष्टिगत किसी संवर्ग में पद की अब आवश्यकता एवं उपयोगिता है अथवा नहीं?

(ख) क्या संवर्ग के किसी पद अथवा पदों को विभाग के नये क्रिया-कलापों एवं आयाम के दृष्टिगत, आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित कर नये संवर्ग में पद अथवा पदों को परिवर्तित पदनाम से सृजन करने की आवश्यकता है अथवा नहीं?

(ग) संवर्ग एवं पद अथवा पदों को समाप्त किये जाने से पूर्व उपर्युक्त प्रस्तरों में दिये गये दिशा-निर्देशों का सम्यक् अनुपालन करने के उपरान्त ही संवर्ग एवं पद अथवा पदों की समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(4) विभाग के अधीन विभिन्न संवर्गो के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या का पुनर्निर्धारण व आंकलन करने के पश्चात् विभिन्न संवर्गो में आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित पदों की संख्या के आधार पर, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति व अन्य कारणों से घटित होने वाली वर्षवार रिक्तियों का अवधारण करते हुए, संगत सेवा नियमावली में संशोधन हो जाने के उपरान्त ही सीधी भर्ती हेतु अधियाचन, यथास्थिति लोक सेवा आयोग, उ.प्र, प्रयागराज तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित की जाय।

4. उपरोक्तानुसार विभिन्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले पदों के समुचित निर्धारण करने एवं संगत सेवा नियमावली में अपेक्षित संशोधन हो जाने के पश्चात् पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही करने से पूर्व, यदि पूर्व में शासन स्तर से भर्तियों पर कोई रोक लगाई गई हो, तो उसके परिप्रेक्ष्य में शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आबकारी विभाग के विभिन्न संवर्गो व पदों के समुचित निर्धारण एवं उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग किये जाने के संबंध में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही के पूर्ण विवरण सहित आख्या एवं यथावश्यकता समुचित प्रस्ताव, शासन को प्राथमिकता पर, एक पक्ष में, उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।